न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः Jodhpur/225RTA/2019/084

1. सुजानसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह राजपूत
2. प्रभुसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह राजपूत
3. सांवतसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह राजपूत
4. बाबूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह राजपूत
5. मानसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह राजपूत
6. नारायणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह राजपूत
7. नकतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह राजपूत
8. सतूकंवर पुत्री चन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह राजपूत
9. जेठूसिंह पुत्र आईदानसिंह फौत के कायममुकामान--
   a. खेतूकंवर पत्नी जेठूसिंह राजपूत
   b. नाथुसिंह पुत्र जेठूसिंह राजपूत
   c. भोमसिंह पुत्र जेठूसिंह राजपूत
   d. दुर्गसिंह पुत्र जेठूसिंह राजपूत
10. पदमसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
11. जुगतसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
12. अमरसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत

समस्त निवासीगण श्रीकृष्णनगर चाडी,
तहसील बापिणी, जिला जोधपुर

----- अपीलार्थीगण

ब

ना

म

1. खींयाराम पुत्र चूनाराम कुम्हार
2. हरीराम पुत्र चूनाराम कुम्हार
3. बंशीलाल पुत्र चूनाराम कुम्हार
4. दुर्गाराम पुत्र चूनाराम कुम्हार
5. पेमाराम पुत्र चूनाराम कुम्हार
6. पार्वती पुत्री चूनाराम कुम्हार
7. मानी पुत्री चूनाराम कुम्हार
8. पतासी पुत्री चूनाराम कुम्हार
9. समु पुत्री चूनाराम कुम्हार
10. मीरा पुत्री चूनाराम कुम्हार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर.

11. राजी पत्नी चूनाराम कुम्हार
12. चेनाराम पुत्र आईदानराम कुम्हार
13. पदमाराम पुत्र मोडाराम कुम्हार
14. लिखमाराम पुत्र मोडाराम कुम्हार
15. दीपाराम पुत्र मोडाराम कुम्हार
16. भोमाराम पुत्र गणेशाराम फौत के कायममुकामान--
    a. ज्योति पत्नी भोमाराम कुम्हार
    b. प्रकाश पुत्र भोमाराम कुम्हार नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता ज्योति
17. पूनी पत्नी गणेशाराम कुम्हार
18. हजारीराम पुत्र भेराराम कुम्हार
19. पाबुराम पुत्र भेराराम कुम्हार
20. प्रभुराम पुत्र भेराराम कुम्हार
21. गणेशाराम पुत्र भेराराम कुम्हार
22. कोजाराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
23. गिरधारीराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
24. मानाराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
25. ओमाराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
26. उम्मेदाराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
27. हनुमानराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
    समस्त निवासीगण श्रीकृष्ण नगर चाडी
    तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
28. तहसीलदार बापिणी, जिला जोधपुर

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर ओसिया, दिनांक 23 जुलाई 2019 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 238/2019 बउनवान खींयाराम व अन्य बनाम सुजानसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-
अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 27 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम परिहार
प्रत्यर्थी संख्या 28 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

दिनांक : 03 अक्तूबर, 2019

अपीलार्थीगण ने विद्वान सहायक कलेक्टर, ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 238/2019 बउनवान खींयाराम व अन्य बनाम सुजानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 जुलाई 2019 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 30 जुलाई 2019 को पेश की है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण ने तहसील बापिणी के ग्राम श्रीकृष्णनगर के मूल खसरा संख्या 1815 रकबा 429 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निम्नलिखितानुसार पक्षकारान के नाम दर्ज होना जाहिर करते हुए --

क्र. सं.	खसरा सं.	रकबा		वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज पक्षकार का विवरण
		बीघा	बिस्वा	
1	1815/3	28	08	प्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण संख्या एक से ग्यारह
2	1815/4	28	08	प्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण संख्या बारह
3	1815/2326	28	07	प्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण संख्या तेरह से सत्रह
4	1815/2	28	07	प्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण संख्या 18 से 21
5	1815/1	28	07	प्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण संख्या 22 से 27
		141	17	योग (अ)
7	1815	68	08	अप्रार्थीगण-अपीलार्थीगण सं. 1 से 8
8	1815/5	65	12	अप्रार्थी-अपीलार्थी सं. 9
9	1815/7	143	00	अप्रार्थीगण-अपीलार्थीगण सं. 10 से 12
		277	00	योग (ब)
		418	17	कुलयोग (योग अ+ब)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा मौके पर इसी अनुसार पक्षकारान के मध्य भौतिक रूप से आपसी सहमति के आधार पर विभाजन किया हुआ होना मगर राजस्व नक्शें में उक्त भूमि एक ही खसरा के रूप में होना बताते हुए उक्त भूमि के औपचारिक बंटवारे हेतु दावा किया जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और मूल दावे के निस्तारण के पूर्व ही अप्रार्थीगण-अपीलार्थीगण द्वारा मौके पर प्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के कब्जे-काश्त की भूमि में दखलंदाजी करने, उनके लगाये हुए नलकूप, तारबंदी आदि को खुर्दबुर्द करने का प्रयास करने आदि का वर्णन करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 23 जुलाई 2019 को दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की इकतरफा सुनवाई की गयी और अपीलाधीन आदेश के जरिये आगामी तारीख पेशी 4 सितम्बर 2019 तक वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हेतु उभयपक्षकारान को पाबन्द किया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ अप्रार्थीगण-अपीलार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलोच्य अपील दिनांक 30 सितम्बर 2019 को पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और निर्धारित न्यायिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं तथा प्रकरण के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रत्यर्थीगण की इकतरफा बहस के आधार पर दिनांक 23 जुलाई 2019 पारित कर आगामी तारीख

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेशी दिनांक 04 सितम्बर 2019 निर्धारित की गयी है, जो विधि से सुस्थापित सिद्धान्तों एवं सीपीसी के आदेश 39 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजियात सहखातेदारी की भूमि है और स्वयं प्रत्यर्थीगण द्वारा विभाजन का दावा पेश किया गया है। कानूनन किसी भी सहखातेदार/सहखातेदारान के पक्ष में अन्य सहखातेदार/सहखातेदारान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्त की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि मौके पर अपीलार्थीगण द्वारा एक नलकूप खुदवाया हुआ है, मगर प्रत्यर्थीगण द्वारा बदनीयतीपूर्वक मात्र विद्युत कनेक्शन रूकवाने की नीयत से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाई है। दिनांक 01 मार्च 2019 को विद्युत कनेक्शन जारी करने की सूचना दी गयी जिस पर दिनांक 13 जून 2019 को मांगपत्र जारी हुआ और तदनुसार राशि जमा करवायी गयी, प्रत्यर्थीगण द्वारा मात्र उक्त कनेक्शन रूकवाने की नीयत से ही दावा एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में किसी भी सहखातेदार या काश्तकार को कृषि भूमि के विकास कार्य अर्थात सिंचाई कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन लेने से नहीं रोका जा सकता है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण संख्या एक से 27 की ओर से अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

53 एवं 188 के तहत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया, जिसके साथ ही मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसके आधार पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की इकतरफा सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया और आगामी पेशी 04 सितम्बर 2019 निर्धारित की। उक्त निर्धारित दिनांक के पूर्व ही अप्रार्थीगण-अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पेश कर अदालत हाजा के तथ्यों को छुपाते हुए इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश को दिनांक 30 जुलाई 2019 को वेकेट करवा लिया, जबकि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र की प्लीडिंग्स का अध्ययन करने के पश्चात और प्रत्यर्थीगण को सुनकर अंतरिम तौर पर पारित किया था, वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पर आधारित था और उक्त आदेश की पालना एवं प्रभाव के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित करने के लिए अदालत हाजा के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख उपलब्ध होना नितान्त आवश्यक था। विगत पेशी दिनांक 19 अगस्त 2019 पर अदालत हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 30 जुलाई 2019 की पालना एवं प्रभाव अवधि में वृद्धि किया जाना सीपीसी के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि अदालत हाजा द्वारा इस मामले में जारी आदेश दिनांक 30 जुलाई 2019 के संबंध में एक एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 12179/2019 खीयाराम व अन्य बनाम आर.ए.ए. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष आर्टिकल 227 कोन्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया के तहत विचाराधीन है। अपील लिखित बहस में प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में मूल वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अभी तक अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है और उससे संबंधित अभिलेख वर्तमान में अदालत हाजा के समक्ष उपलब्ध है, इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत आलौच्य अपील पोषणीय भी नहीं है। अतः अदालत हाजा का आदेश दिनांक 30 जुलाई 2019 वेकेट करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का अन्तरिम आदेश दिनांक 23 जुलाई 2019 रेस्टोर किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जावे कि यथासम्भव प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 238/2019 का उभयपक्षकारान को विधि अनुसार तामील होने के बाद सुना जाकर यथाशीघ्र निस्तारण किया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 28 की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली अवलोकन पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 23.07.2019 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.09.2019 नियत की गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 04.09.2019 को आगामी तारीख पेशी 04.11.2019 नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की सुनवाई किये जाने की निर्धारित तारीखे गुजर चुकी है। आज अंतरिम रूप से पारित अपीलाधीन आदेश पर गुणावगुण पर विवेचन करना उचित नहीं समझते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील खारिज की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के ससाथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर दो माह मे विधि-सम्मत अंतिम आदेश पारित किया जावे।

आज दिनांक 03.10.2019 को लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

3/10/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर